2

24/11/20 पत्रावली पेशी में आई। पक्षकारों को श्रवण लाभ। वकील वादी गण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण 1 व 5 उपस्थित है। पत्रावली बहस के स्तर पर चल रही है। वकीलवादीगण की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस व पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर ही पूर्वगामी पक्ष में इस न्यायालय द्वारा अंतरिम दिनांक 19/09/2012 को जारी निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही आवश्यकता नहीं। फैसला शुमार किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner